

क्रमांक :- 304/1204/2013/

भोपाल

दिनांक :-

आदेश

1. श्री भीमशंकर शर्मा, उपयंत्री कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग मेहगांव के विरुद्ध पुलिस थाना देहात भिण्ड जिला भिण्ड द्वारा अपराध क्र. 471/2016 में भारतीय दण्डविधान की धारा 420,466,467, 468,471,474,196,197,199 सहपठित धारा 120 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उन्हें दिनांक 23.03.2017 को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 23.03.2017 से 05.04.2017 तक वह न्यायिक अभिरक्षा में रहे। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने श्री शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रकरण क्र. एन.सी.आर.सी. 3417/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2017 के द्वारा दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत वह जमानत पर रिहा हुए।
2. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 9 (2) के द्वारा किसी शासकीय सेवक को 48 घण्टे से अधिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने की दशा में निलंबित समझे जाने का प्रावधान है, अतः श्री भीमशंकर शर्मा उपयंत्री को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 9 (2) के अंतर्गत दिनांक 23.03.2017 से भूतलक्षी प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री भीमशंकर शर्मा का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड रहेगा एवं निलंबन अवधि में श्री भीमशंकर शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

- एल -
(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र.


पृ. क्रमांक :- 304/1204/2013/970

भोपाल

दिनांक :- 4/6/2017

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर को उनके पत्र क्र.3532 दिनांक 11.04.2017 के परिपेक्ष्य में प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल ग्वालियर।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड।
5. स्थापना शीर्ष-302,305,लीगल सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
6. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मेहगांव
7. श्री भीमशंकर शर्मा, उपयंत्री, द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड


(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र.